176/19 वादपत्र
धीतर बनाम कालू (कोर्ट)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय दस्तखत जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.2.22	पत्रावली पेश हुई, वकील वादी उपस्थित, वकील वादी ने बहस करनी चाही, वकील वादी की बहस सुनी गयी, वास्ते आदेश हेतु नियत दिनांक 25.3.22 को पेश हो।	
25/3/22	पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित। वादी अधिवक्ता ने बहस में वाद के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम पीथास प०म० पीथास की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 के खाता नं० 75 में आ०न० 1488 रकबा 0.04 बीघा, आ०न० 1489 रकबा 0.02 बीघा, आ०नं० 1490 रकबा 0.02 बीघा, आ०नं० 1491 रकबा 8.04 बीघा, आ०न० 1492 रकबा 1.16 बीघा कुल कीता 5 कुल रकबा 10.08 बीघा एवं खाता नं० 506 में आ०नं० 1256 रकबा 1.12 बीघा, आ०न० 1257 रकबा 2.01 बीघा, आ०न० 2844 रकबा 0.15 बीघा, आ०नं० 2845 रकबा 0.18 बीघा, आ०न० 2846 रकबा 1.03 बीघा, आ०नं० 2847 रकबा 0.13 बीघा कुल कीता 6 कुल रकबा 7.02 बीघा वादी धीतर व प्रतिवादी कालू पिता घासी उर्फ धीसा माली निवासी मालीखेड़ा मजरा पीथास के नाम पर संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। इसी प्रकार ग्राम मांडल प०म० मांडल की आ०न० 5121 रकबा 0.12 बीघा वादी धीतर एवं प्रतिवादी कालू के नाम पर बराबर-2 हक से संयुक्त खातेदारी से दर्ज है। वादी एवं प्रतिवादी सगे भाई हैं। प्रतिवादी कालू बचपन से ही अविवाहित था तभी से लगभग 40 वर्षों से लापता है। प्रतिवादी कालू पिता घासी उर्फ धीसा के वादी धीतर के अलावा अन्य कोई प्रथम श्रेणी का वारिस नहीं है। प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया दिनांक 28/2/20 की तारीख पेशी के सम्मन पर प्रतिवादी के जीवित होने या मृत्यु हो गई पता नहीं प्रतिवादी यहां [illegible] पाया हुई। पुनः सम्मन को	उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा

समाचार पत्र दैनिक नवज्योति दि० 16 मार्च, 2020 में प्रकाशित करवाया गया। इसके बावजूद न तो प्रतिवादी हाजिर हुआ न ही कोई अधिवक्ता उपस्थित आए। अतः प्रतिवादी कालु के विरुद्ध दिनांक 19-2-2021 को एक तरफा कार्यवाही का आदेश दिया गया। वादी ने वाद पत्र की ताईद में स्वयं वादी व गवाह रुगनाथ का शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दस्तावेजों को प्रदर्श करवाया। प्रतिवादी के जीवित या मृत होने के सम्बन्ध में पिछले 50 वर्षों से परिवारजन व आस-पास में कोई जानकारी नहीं है। जबकि 7 वर्षों में यदि किसी व्यक्ति को जीवित होने की कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है तो यह उपधारणा की जाती है कि उसकी मृत्यु हो गई जैसा कि कालू बाल्यकाल में ही अर्थात 50 वर्ष की अवधि में आस-पास के क्षेत्र में व परिवारजन या रिश्तेदारों को कालू पिता घाती उर्फ घीसा माली के जीवित होने की कोई जानकारी नहीं है तथा वादी घीतर के अलावा प्रतिवादी कालू के अन्य कोई प्रथम श्रेणी का वारिस नहीं है। वादी ही प्रतिवादी कालू का द्वितीय श्रेणी का वारिस होने तथा वाद वर्णित भूमि के सम्बन्ध में प्रतिवादी या उनके प्लीडर द्वारा कोई खण्डन नहीं किया है। अतः वादी का वाद स्वीकार फरमा वाद वर्णित आराजीयात में कालू का नाम विलोपित करते हुए कालू के हिस्से की आराजीयात का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित करना फरमावे।

हमने वादी के अधिवक्ता की बहस सुनी तथा वाद पत्र के तथ्यों तथा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों व गवाहों के शपथ पत्रों के अध्ययन

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जि...

से यह जाहिर आया कि ग्राम पीथास की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 के खाता सं० 125 में आ०नं० 1488-1489-1490-1491-1492 कुल कीता 5 कुल रकबा 10.08 बीघा धीवर, कालू पिता धीसा माली सा०देह खातेदार दर्ज है इसी प्रकार खाता संख्या 506 में दर्ज आ०नं० 1256-1257-2844-2845-2846-2847 कुल कीता 6 कुल रकबा 7.02 बीघा भैरू पिता गुलाब 1/2 धीवर, कालू पिता धासी 1/2 माली सा०देह दर्ज है तथा ग्राम मांडल की आ०नं० 5121 रकबा 12 बिस्वा भूमि धीवर, कालू पिता धासी माली सा० देह हि०ब० खातेदार दर्ज है। इस प्रकार वादवर्णित आराजीयात धीवर, कालू पिता धीसी उर्फ धीसी माली के नाम संयुक्त खातेदारी से दर्ज है। धीवर व. कालू दोनो भाई है। वादी का कथन है कि कालू प्रतिवादी बचपन से ही अविवाहित लापता हो गया जिसे 40 वर्ष हो चुके है। जबकि कानूनी परिस्थितियों की दृष्टि से 7 वर्ष की अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात उसे मृत मान लिया जाता है। इस प्रकरण में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पर प्रतिवादी को सुनवाई हेतु दिनांक 28/4/2020 का सम्मन जारी किया जिस पर तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट अंकित है कि कालू पिता धासी उर्फ धीसा माली करीब 30 वर्षों से यहां मालीखेड़ा मजरा पीथास में रहते नहीं देखा गया यह जीवित भी है या नहीं किसी को पता नहीं। उक्त रिपोर्ट प्रदर्श-6 है। भूमिधारी तहसीलदार मांडल को 80 CPC का नोटिस जारी किया जो प्रदर्श-4 व नोटिस की पोस्टल रसीद प्रदर्श-5 है। ग्राम पीथास की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 के खाता सं० 125 की जमाबन्दी प्रदर्श-1, खाता सं० 506 की जमाबन्दी प्रदर्श-2 व ग्राम मांडल की आ०नं० 5121 की जमाबन्दी प्रदर्श-3 है। प्रतिवादी की तामील हेतु समाचार पत्र दैनिक नवज्योति दि० 16 मार्च, 2020 में दिनांक 17-4-20

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

हुक्म

का सम्मन प्रकाशित करवाया गया। प्रतिवादी ने बावजूद तामील के वाद के खण्डन में कोई जवाब या दस्तावेज पेश नहीं किया न ही किसी प्लीडर के माध्यम से न्यायालय में अपनी उपस्थिति दी है जिससे दिनांक 19-2-2021 को प्रतिवादी के खिलाफ एकतरफा आदेश पारित किया गया। प्रतिवादी कालू पिता घासी उर्फ घीसा माली के पिछले 30 से 40 वर्ष से लापता होने की पुष्टि सम्मन के पृष्ठ पर अंकित तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट एवं गवाह रूपनाथ पिता हेमा गाडरी निवासी मालीखेड़ा मजरा पीथास के शपथ पत्र से भी पुष्टि होती है। इस प्रकार कालू पिता घासी उर्फ घीसा माली के सम्मन पर पिछले 30 वर्षों से ग्राम मालीखेड़ा मजरा पीथास में रहते हुए नहीं देखा व जीवित है या नहीं इसकी भी जानकारी नहीं होने के सम्बन्ध में मौतबीरान ने बतौर साक्ष्य दस्तखत किए जो प्रदर्श 6 है। इस प्रकार वादी ने समस्त साक्ष्य सबूतों के माध्यम से प्रतिवादी कालू पिता घासी उर्फ घीसा माली के ग्राम मालीखेड़ा मजरा पीथास में पिछले 30-40 वर्षों से नहीं रहने व आस-पास के क्षेत्र में भी इसके जीवित या मृत होने के सम्बन्ध में किसी भी क्षेत्र के निवासी या परिजन से कोई सूचना पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। यहां तक कि वादी ने प्रतिवादी कालू के खिलाफ गुमशुदगी की रिपोर्ट ग्राम पंचायत पीथास में दर्ज करवाई जिसके आधार पर ग्राम पंचायत पीथास ने दि॰ 2-4-2019 को कालू पिता घासी माली ग्राम पीथास में पिछले 40 वर्षों से निवास नहीं करने का प्रमाण-पत्र जारी किया जो पत्रावली में संलग्न है।

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

इस प्रकार वादी ने अपने वाद की ताईद में प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों एवं दस्तावेजों के आधार

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
पर निम्न तथ्य जाहिर आए कि वादी एवं प्रतिवादी सं०1 की ग्राम धीपास में खाता नं० 175 में आ०नं० 1488 से लगायत 1492 कुल कीता 5 कुल रकबा 10.08 बीघा बराबर हक से संयुक्त खातेदारी से नकल जमाबन्दी सम्वत 2071 से 74 में दर्ज है व खाता नं० 806 में आ०नं० 1256-1257-2844-2845-2846-2847 कीता 6 कुल रकबा 7.02 बीघा में 1/2 हिस्से में वादी व प्रतिवादी संयुक्त खातेदारी से नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 74 में दर्ज है तथा ग्राम मांडल की आ०नं० 5121 रकबा 0.12 बीघा वादी एवं प्रतिवादी सं० 1 के नाम बराबर-2 हक से संयुक्त खातेदारी से नकल जमाबन्दी सम्वत् 2037 से 40 में दर्ज है जो प्रदर्श-1 से लगायत 3 है। इस प्रकार वादी व प्रतिवादी स्व० धीसा उर्फ घासी माली के पुत्र है। वादी का कथन है कि प्रतिवादी कालू पिछले 30-40 वर्षों से लापता है। जब कालू लापता हुआ तब वह अविवाहित था इसके मेरे अलावा अन्य कोई वारिस नहीं है। प्रतिवादी कालू के जीवित या मृत होने की कोई जानकारी नहीं होने को 07 वर्षों में किसी को जानकारी नहीं हो तो उसके मृत होने की उपधारणा की जावेगी। ऐसा कोई नियमों में प्रावधान नहीं है। किसी भी व्यक्ति के लापता होने पर उसकी गुमशुदगी की सार्वजनिक सूचना समाचार के माध्यम से प्रकाशित करवाया जाना चाहिये परन्तु वादी ने कोई सूचना समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं करवाई यहां तक कि वादी ने अपने भाई कालू के बचपन से लापता/गुम होने की दशा में कोई FIR किसी भी थाने में दर्ज कराने सम्बन्धी कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है। प्रतिवादी के सम्बन्ध में तामील कुनिन्दा व मौत बिराने की रिपोर्ट व ग्राम पंचायत धीपास द्वारा जारी प्रमाण-पत्र में यह स्पष्ट किया कि प्रतिवादी कालू पिता धीसा उर्फ घासी माली	(हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	निवासी मालीखेड़ा मजरा पीथास बचपन से ही 30-40 वर्षों से ग्राम मालीखेड़ा में रहते हुए नहीं देखा है किसी ने भी कालू की मृत्यु होने के सम्बन्ध में नहीं बताया है यहां तक कि वादी ने बतौर साक्ष्य में रगनाथ पिता हेमागाजी निवासी मालीखेड़ा मजरा पीथास का शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जिसमें भी यह अंकित है कि कालू पिता ग्यासी उर्फ पीथा माली अविवाहित था, बचपन से ही गांव छोड़कर चला गया। वह जीवित है या मर गया मुझे मालूम नहीं न किसी भी ग्रामवासी को इस बारे में जानकारी है। अर्थात यह सही है कि प्रतिवादी वादी का भाई है जो अविवाहित होकर पिछले 40 वर्ष से लापता है परन्तु मृत्यु होने के सम्बन्ध में कोई रिकॉर्ड या दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। मौखिक साक्ष्य से किसी को मृत मानने का ~~अधिकारी~~ अधिकार क्षेत्र इस न्यायालय को नहीं है। किसी की मृत्यु का प्रमाण-पत्र सिर्फ सिविल न्यायालय को जारी करने का अधिकार है परन्तु वादी ने इस प्रकार की कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई है। प्रतिवादी की मृत्यु का कोई दस्तावेज पत्रावली में पेश नहीं है ऐसी स्थिति में प्रतिवादी के संयुक्त हिस्से की आराजीयात को वादी अपने नाम दर्ज कराने में असफल रहा है। अतः वादी का वाद खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी

डिक्री

(आ0 20 नियम 6 / जा0दी0)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा राजस्थान

बईजलास श्री डॉ. पूजा सक्सेना (आर0ए0एस0)

अनवान प्रकरण

श्री छीतर वल्द घासी उर्फ घीसा माली निवासी - मालीखेड़ा मजरा पीथास, मंदिर के पास हाल निवासी - 73 गायत्रीनगर कृष्णा मोंटेसरी स्कूल के पीछे भीलवाड़ा (रा.)

वादी

बनाम

श्री कालू पिता घासी उर्फ घीसा माली निवासी - मालीखेड़ा मजरा पीथास तहसील - माण्डल जिला - भीलवाड़ा (रा.) राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार सा. माण्डल तहसील - माण्डल

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 मुकदमा न0 / वर्ष 176/19 निर्णय दिनांक 25.03.22

यह मुकदमा अज अदालत वाद इनफिसल कतई स्वरूप अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुददई व श्री श्यामलाल वैद्य A/w मालाभिव मुदावला पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिक्री दी जाती है कि अत: प्रतिवादी की मृत्यु का कोई दस्तावेज पत्रावली मे पेश नही है, ऐसी स्थिति मे प्रतिवादी के संयुक्त हिस्से की आराजियात को वादी अपने नाम दर्ज कराने मे असफल रहा है। अत: वादी का वाद पत्र खारीज किया जाता है।

आज तारीख 25.03.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा
मांडल जिला भीलवाड़ा